(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में पहले से किए गए निर्णयों से ये निर्णय कुछ भिन्न हैं ; और

(ग) यदि हां, तो पहले के निर्णय क्या थे और ये निर्णय उनसे किस रूप में भिन्न हैं ?

T[DECISIONS ON USE OF LANGUAGE BY DELHI ADMINISTRATION

832. SHRI RAJNARAIN :
SHRI D. THENGARI :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration have recently taken some decisions regarding use of Language by the Delhi Administration;

(b) whether it is also a fact that these decisions are somewhat different from those already taken by the Delhi Administration, in this regard; and

(c) if so, what were the previous decisions and in what respect the new decisions differ from them?]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमान् । दिल्ली प्रशासन ने 15 अगस्त, 1968 से प्रशासनिक कार्यों के लिए हिन्दी को व्यापक रूप से अपनाने का निर्णय लिया था ।

(ख) तथा (ग) बाद के आदेशों में मुख्यतः यह स्पष्टीकरण किया गया है कि हिन्दी का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ाते हुए भाषा सम्बन्धी उनकी नीति संविधान और राजभाषा अधिनियम उपबंधों के अनुसार होगी । इसके अतिरिक्त अहिन्दी भाषी राज्यों को हिन्दी में भेजे जाने वाले पत्रों के साथ उन राज्यों की क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद भेजने के आदेश में यह संशोधन किया गया है कि ऐसे पत्र अंग्रेजी में होंगे ।

t[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) Yes, Sir. Delhi Administration had decided to adopt Hinid extensively for their administrative purposes from 15th August, 1968.

(b) and (c) The subsequent orders chief clarify that while gradually increasing use of Hindi their language policy would conform to the provisions of the Constitution and the Official Languages Act. Further, the earlier orders for correspondence addressed to non-Hindi States in Hindi accompanied with a translation in regional language of the State concerned were amended to the effect that such correspondence would be in English]

t [SECTION 144 IN NEW DELHI

नई दिल्ली में धारा 144

833. **श्री एन० के० शेजवलकर**
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री मान सिंह वर्मा :
श्री प्रेम मनोहर :
श्री पीताम्बर दास ।

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में संसद् भवन के आस-पास तथा अन्य क्षेत्रों में विगत दो वर्षों में धारा 144 कब-कब और कितने दिन लागू नहीं रही और उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या लोकतन्त्र में प्रदर्शनों के महत्व को देखते हुए संसद् भवन के आस-पास से धारा 144 हटा ली जायेगी ?

833. SHRI N. K. SHEJWALKAR : SHRI J. P. YADAV : SHRI MAN SINGH VARMA SHR PREM MANOHAR : SHRI PITAMBER DAS :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be please to State :

(a) what is the number of occasions and the respective periods during the last two years when section 144 Cre,

P. C. did ntot remain in force in the area around Parliament House and Qther areas in New Delhi and what are the reasons therefor; and

. (b) whether Section 144 Cr. P.C. wiH be lifted from the Parliament House area in this context of importance of demonstrations in a democracy?]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जारी किये गये विभिन्न आदेश, वे क्षेत्र जो उनसे नियंत्रित किये गये तथा वह अवधि जिसके लिए वे लागू होने थे, बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट LXVI, अनुपत्र संख्या 663] ऐसे आदेश पूर्णतया दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उपबन्धों अंतर्गत के ही उद्घोषित किये जाते हैं। जबकि सरकार लोकतन्त्र में शान्तिपूर्ण प्रदर्शन के महत्व को स्वीकार करती है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण समझती है कि संसद अपना कार्य बिना किसी रुकावट के शान्तिपूर्ण ढंग से कर सके।

t[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA ^CHARAN SHUKLA) : (a) and (b) A statement indicating the various orders issued under Section 144 Cr. P. C., areas covered by them and the period for which the orders were' to be in force is attached. *(See* Appendix LXVI, Annexure No. 66.) Such orders are promulgated strictly in accordance with the provisions of section 144 Cr. P. C. While the Government recognise the importance of peaceful demonstrations in a democracy, it is equally important that parliament should be able to function in a peaceful manner without any obstruction.].

ACTIVITIES OF MIZO HOSTILES

834. SHRI SITARAM JAIPURIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that ihe activities of Mizo hostiles in Imphal and other hill subdivisions of Manipur are on the increase ; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be tkaen to curb these activities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA)' : (a) There had been more encountrers with the hostiles in 1968 in Manipur as compared to 1967.

(b) The Security Forces have incesnsified patrolling in the affected area which has been declared as disturbed under th 1 provisions of the Armed Forces (Assam I and Manipur) Special Powers Act, 1968.

f [EXCAVATIONS AT KUSHI NAGAR, IN U.P.

उत्तर प्रदेश में कुशी नगर मे खुदाई

835. श्री राजनारायण : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुशी नगर, जिला देवरिया (उत्तर प्रदेश) में खुदाई कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में अभी तक निर्णय नहीं किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां पर खुदाई के दौरान पाई गई वस्तुओं को लखनऊ के संग्रहालय में रखा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

835. SHRI RAJNARAIN : Will the Minister, of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Governments have not so far taken a decision with, regard to the completion of excavation work at Kushi Nagar, District Deoria, (Uttar Pradesh);

(b) whether it is a fact that the articles found during excavations there have been placed in the Lucknow Museum; and

(c) if so, what are the reasons therefor?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) इस समय कुशीनगर में खुदाई पुनरारम्भ करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) जी हां। कुछ खुदाई से प्राप्त वस्तुएं सरकारी संग्रहालय में रखी हैं और कुछ मूर्तियां अब भी स्थल पर हैं।